

कार्यालय नगर पालिका परिषद बिलग्राम जनपद - हरदोई

संख्या/ १५ /न०पा०परि०वि०/नि०स०/२०-२१

दिनांक- १६-१२-२०२०

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

ई-टेलरिंग के अन्तर्गत जनपद हरदोई के न०पा०परि०बिलग्राम में ठेकेदारों/फर्मों को सूचित किया जाता है कि वर्ष २०२०-२१ में १५वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से नगर पालिका सूची में अंकित निर्माण कार्य हेतु ई-टेलर निविदा निम्न विवरण के अनुसार आमंत्रित की जाती है। निविदा मूल्य पी०एन०वी० के खाता संख्या ४१०५००२१००००१३९ आई०एफ०एस०सी० कोड PUNB04105000 में आर०टी०जी०एस० या नगद जमा किया जाये। आर०टी०जी०एस०/नगद निविदा मूल्य न जमा करने पर निविदा निरस्त समझी जायेगी।

(A)	ई-प्रोक्योरमेट के माध्यम से निविदा प्रकाशन तिथि	१८-१२-२०२०
(B)	वेबसाइट पर आनलाइन निविदा डाउनलोड कि तिथि	१३-१२-२०२०
(C)	ई-प्रोक्योरमेट के माध्यम से निविदा डालने की तिथि व समय	२३-१२-२०२०
(D)	ई-प्रोक्योरमेट के माध्यम से तकनीकी निविदा खोलने की तिथि व समय	३०-१२-२०२०
(E)	ई-प्रोक्योरमेट के माध्यम से वित्तीय निविदा खोलने की तिथि व समय	तकनीकी निविदा के मूल्यांकन के पश्चात निर्धारित की जायेगी।
(F)	ई-निविदा खोलने का स्थान	अपर जिला मजिस्ट्रेट/ प्रभारी अधिकारी (स्थानी) एवं कार्यालय न०पा०परि० बिलग्राम

कार्य विवरण निम्नवतः-

क०स०	कार्य का नाम	आगणन धनराशि	धरोहर धनराशि (५ प्रतिशत)	निविदा मूल्य + १८ प्रतिशत जी०एस०टी० सहित	कार्य की अवधि
१	२	३	४	५	६
१५वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष २०२०-२१					
१	मो० मैदानपुरा-०६ मे अलीगढ मार्ग से कर्बला मार्ग तक इंटर लाइंग व आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य	४४,९०,८८८.००	२,२४,५४५.००	५३१०.००	०१ माह

नियम व शर्ते-

- विस्तृत जानकारी कार्यालय दिवस में कार्यालय नगर पालिका परिषद बिलग्राम हरदोई में श्री रुपेश खन्ना लिपिक एवं श्री रोहित शाहू अवर अभियन्ता लोक निर्माण विभाग ०२ बिलग्राम हरदोई से प्राप्त की जा सकती है तथा फर्म/ठेकेदार निविदा अपलोड करने से पूर्व सम्बन्धित अधिकारियों के साथ कार्य स्थल का निरीक्षण कर सकते हैं।
- आगणन से १५ प्रतिशत से अधिक दर की निविदा को स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा आगणन से १० प्रतिशत कम की निविदा हेतु अतिरिक्त जमानत धनराशि ०.५ प्रतिशत एवं १० से १५ प्रतिशत कम की निविदा हेतु अतिरिक्त जमानत धनराशि १ प्रतिशत एरफारमेंस गारंटी के रूप में निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
- भुगतान कार्य की गुणवत्ता के परीक्षण के उपरान्त सन्तोषजनक पाये जाने पर बजट उपलब्धता न होने तक ठेकेदार/फर्म की कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी, तथा नियमानुसार आयकर/जी०एस०टी० आदि सभी करों की कटौती करके भुगतान किया जायेगा। शासन द्वारा उपयोगिता अवधि प्राप्त होने पर भुगतान पर विद्यार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त धनराशि रा०वी०१० नगर निधि से उपलब्धता के आधार पर की जायेगी।
- निविदा के साथ १० प्रतिशत धरोहर धनराशि एवं निविदा मूल्य नगर पालिका परिषद बिलग्राम की बैंक पी०एन०वी० खाता खं ४१०५००२१००००१३९ आई०एफ०एस०सी० कोड PUNB04105000 में ऑन लाइन आदि माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। जिसकी रसीद कार्यालय नगर पालिका परिषद बिलग्राम से प्राप्त की जायेगी।
- अनिम भुगतान से ०५ वर्ष बाद कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर, जमा कुल जमानत धनराशि वापस की जायेगी तथा पाँच वर्ष तक सङ्कों के रख-रखाव की जिम्मेदारी सफलता प्राप्त फर्म/ठेकेदार की होगी।

1 page

टॉपर दोस्तावें को टॉपर की समय निम्न प्रपत्र इ टॉपर म अपलाउ करना आवश्यक हाया तथा राज प्रधान न वा सामाजिक कार्योलग को प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।

- A. पंजीकरण प्रमाण पत्र।
 B. 10 प्रतिशत धरोहर धनराशि जमा का प्रमाण।
 C. चरित्र प्रमाण पत्र।
 D. हैरियत प्रमाण पत्र।
 E. टी-८ टी-८ टी-४
 F. गशीनशी उपलब्धता, टेकिनिकल स्टाफ एवं निकाय
 मौटशी कराकर शाष्ट्र पत्र।
 G. आयकर विभाग का वार्षिक वर्तीयरेंश प्रमाण पत्र।
 H. अनुमति प्रमाण पत्र।
 I. शम विभाग का पंजीकरण।
 J. लीएसएसटी प्रमाण पत्र वर्तमान में सक्रिय।

J. जारीएसटी० प्रमाण पत्र वर्तमान में सोकय।
 सप्तरीका के शामन्य में यह भी उल्लेखनीय है कि यदि किसी फर्म/ठेकेदार का पंजीकरण नगर पालिका के अन्तर्गत नहीं है, तो उसे नगर पालिका में निविदा सफलता के पश्चात पंजीकरण शर्तों के अधीन 10 दिन के अन्दर नगर विकास से निर्गत शासनादेश के क्रम में तराना अनिवार्य होगा साथ ही शासन/निदेशक उत्तर प्रदेश शासन से निर्गत शासनादेशों/निदेशक के पत्र सं० तक०से०/०७/निय०/२०१९ दिनांक २८ जून २०१९ के अनुकूल कार्य विभिन्न श्रेणियों के अधीन कर्तगों प्राप्त किये जा सकते हैं। उस श्रेणी के अतिरिक्त यदि निविदा भली जाती है तो रवतः निरस्त मानी जायेगी, एवं ऐसे ठेकेदार/फर्म को कार्य रखीकृत किया जाता है जिसका पंजीयन निकाय में नहीं है तो शासनादेश सं० ३०९०/नी-६-१९-१४०८/२०१९ दिनांक २० सितम्बर २०१९ के क्रम में ई-निविदा में सफलता प्राप्त करने के पश्चात निकाय में पंजीयन शर्तों के अधीन कराना अनिवार्य होगा। सप्तरीका शासनादेश www.eclender.up.nic.in पर अपलोड है।

7. पत्ताकरण रसा के जलान करना जानपाय होगा। उपरका रसा तब से अधिक समय लिए जाना चाहिए।
 8. शीकृत फर्म को कार्य से पूर्त कार्य स्थल की, कार्य के दौरान, कार्य के अंत में फोटोग्राफ, कार्यालय लिपिक या साम्बन्धित अवर अभियन्ता के साथ उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
 9. शीकृत फर्म/ठेकेदार का दायित्व होगा कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासनादेश के अनुरूप प्रत्येक कार्य का अनुबन्धनामा एवं नीट्रो शपथ पत्र एवं रामरसा आवश्यक वैधानिक कार्यालयों एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण कराकर कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य है।
 10. टेप्डर तकनीकी अधिकारी की देख रेख में खोले जायेंगे, एवं टेप्डरों का परीक्षण भी तकनीकी अधिकारी के माध्यम से किया जायेगा, तकनीकी अधिकारी की लिखित संतुष्टता के उपरान्त ही वित्तीय बिड खोली जायेगी। यदि भविष्य में कोई चूंक पायी जाती है, तो उसके लिए तकनीकी अधिकारी पूर्णतया जिम्मेदार होंगे।
 11. सफलता प्राप्त फर्म को कार्य प्रारम्भ से पूर्त कार्यस्थल पर 1X1.5 मीटर का डिस्प्लेलबोर्ड लगाना अनिवार्य होगा जिस पर योजना का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संख्या एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
 12. निविदा खुलने के समय ठेकेदार/फर्म अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त यदि किसी फर्म द्वारा कार्य किया जाता है तो पावर औफ अटार्नी प्ररसुत करना अनिवार्य होगा।
 13. एकल/राशर्ट निविदा रखीकर नहीं होगी साथ ही स्वीकृत फर्म/ठेकेदार द्वारा कार्य स्वीकृत के पश्चात यदि कार्य हस्तांतरित किये जाने की सूचना किसी भी रूप से प्राप्त होती है तो साम्बन्धित फर्म के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही, काला सूची में डाला जाने हेतु रामरसा विभागों में किये जाने हेतु संसूचित किया जायेगा। पारदर्शिता प्रतियोगिता की दृष्टि से न्यूनतम 03 निविदायें प्राप्त होनी अनिवार्य होगी। अन्यथा की रिप्पति में टेप्डर निरस्त किया जायेगा।
 14. एप्डर फार्म पर टेप्डर रेट (दरें) कम या अधिक प्रतिशत आधार पर स्पष्ट अंकित होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार की कटिंग/ओवर राइटिंग मान्य नहीं होगी।
 15. कार्य निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण न करने पर नियमानुसार आर्थिक दण्ड लगाया जायेगा, जिस पर कटौती ठेकेदार के बिल से आथवा जमा धनराशि से की जायेगी यह दण्ड दो सप्ताह तक अधिकतम रु 500.00 प्रतिदिन हो सकता है दो सप्ताह पश्चात कार्य की निविदा निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी तथा बन्धित फर्म के विरुद्ध शासकीय कार्य में जानबूझ कर व्यवधान, शिथिलता/उदासीनता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध साम्बन्धित पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही की जायेगी।
 16. ठेकेदार को नामित अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता (सिविल)/अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक सी०एप्ड०डी०एस०० प्रश्नका उत्तर देने के तकनीकी मार्गदर्शन में निर्माण कार्य करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त कार्य में प्रयुक्त इंटरलाकिंग, अन्य जनपद हरदोई के तकनीकी मार्गदर्शन में निर्माण कार्य करने के पश्चात कार्य का अन्तिम भुगतान किया जायेगा।
 17. प्रश्नका उत्तर देने के तकनीकी मार्गदर्शन करने के पश्चात कार्य का अन्तिम भुगतान किया जायेगा। नगर पालिका निर्माण शासनादेश रांग्या :— 609 / नौ-9-2007-249ज/06 दिनांक 26/02/2007 के अनुसार राज्य बार कौसिल में पंजीकृत किसी शासनादेश रांग्या को ठेकेदारी में प्रतिभाग करने का अधिकार न होगा। भी अधियक्ता को ठेकेदारी में प्रतिभाग करने का अधिकार न होगा। बिना कारण बताएं एक टेप्डर या सभी टेप्डरों को निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा। नगर पालिका निर्माण नियमावली/लोक निर्माण विभाग की नियमावली, नगर विकास विभाग द्वारा निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का पालन ठेकेदार/फर्म आदि को भानना अनिवार्य होगा।

का नाम जो किसी विद्युत उपकरण के लिए लिखा जाता है।

(रुपेश खन्ना)
वारिष्ठ लिपिक
नगर पालिका परिषद
बिलग्राम - हरदोई

(श्रीचंद)

Habib
(हबीब अहमद)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद ३page
बिलग्राम हरदोई